



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1036 सन् 2026

उपेन्द्र नारायण सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धीरेंद्र सिंह, जे.पी. सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., धनंजय अवस्थी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.पी. सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री धनंजय अवस्थी को सुना गया।
2. वर्तमान याचिकाकर्ता ने पूर्व में नियमितीकरण की मांग करते हुए रिट याचिका संख्या 47412 सन् 2002 दायर की थी, जिसमें दिनांक 05.10.2010 को निम्न आदेश पारित किया गया था—

याची का कथन है कि वर्ष 1989 से प्रतिपक्षी के यहाँ कार्यरत है परन्तु उसकी सेवा जियुक्ति नहीं की जा रही है जिससे क्षुब्ध होकर यह याचिका योजित की गयी है।

मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिपक्षी की ओर से स्थायी अधिवक्ता को सुना मेरे विचार से यह उचित होगा कि याची इस सम्बन्ध में एक प्रत्यावेदन प्रतिपक्षी संख्या 3 के समक्ष दे। यदि इस तरह का कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात अति शीघ्र यदि हो सके तो 3 माह के अन्दर एक तर्क संगत आदेश पारित करें याची अपना प्रत्यावेदन के साथ इस आदेश का प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक कागजात एवं एक लिफाफा मय वांछित टिकट के जिस पर याची का नाम एवं पता अंकित हो प्रस्तुत करेगा।

तत्पश्चात प्रतिपक्षी संख्या 3 निर्णय लेने पश्चात इस सम्बन्ध में याची को सूचित करेगा।

यह याचिका इसी टिप्पणी के साथ निस्तारित की जाती है।"

3. उक्त आदेश के विरुद्ध अंतःन्यायालय अपील (स्पेशल अपील संख्या 537 सन् 2011) दायर की गई, जिसका निर्णय दिनांक 10.11.2014 को निम्न प्रकार से किया गया—

अपीलकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य के प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने वर्ष 1989 से 1995 तक वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य किया। उसकी नियमितीकरण (पक्की नियुक्ति) की मांग वाली रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया था कि उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाए। उक्त अभ्यावेदन को दिनांक 11.06.2014 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसे सिविल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विविध रिट याचिका संख्या 47412 सन् 2002 में संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई। उक्त रिट याचिका को दिनांक 05.10.2010 के निर्णय एवं आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता का मामला उत्तर प्रदेश नियमितीकरण दैनिक वेतन नियुक्ति समूह (डी) पद नियमावली, 2001 के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह 29.06.1991 से 2001 के बीच सेवा में नहीं था। अपीलकर्ता का यह तर्क है कि उसे दिनांक 17.12.1981 के सरकारी आदेश का लाभ मिलना चाहिए।

उक्त आदेश का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि यह कोई विधिवत सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि केवल वन मंत्री के प्रस्ताव का संप्रेषण है, जिसमें यह कहा गया था कि जिन्होंने तीन वर्ष कार्य किया है, उन्हें स्थायी करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। यह परिपत्र वर्ष 1981 का है, जो उस समय से आठ वर्ष पूर्व का है जब अपीलकर्ता ने स्वयं को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त बताया है। इस तथ्य को देखते हुए कि जब रिट याचिका दायर की गई थी, तब नियमितीकरण नियम, 2001 लागू हो चुके थे, अतः अपीलकर्ता का नियमितीकरण केवल उन्हीं नियमों के तहत विचारणीय था। चूंकि अपीलकर्ता उन नियमों के अंतर्गत नहीं आता इसलिए उसका नियमितीकरण सही रूप से अस्वीकार किया गया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य नियम प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके तहत उसे नियमित या स्थायी किया जा सके। अतः इस परिस्थिति में, अपीलकर्ता को नियमित करने का निर्देश सही रूप से अस्वीकार किया गया है। रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता।

अतः अपील निरस्त (खारिज) की जाती है।

4. तत्पश्चात विशेष अनुमति याचिका (सीसी) संख्या 5464 सन् 2015) दायर की गई, जिसे दिनांक 03.02.2015 को निम्न आदेश के साथ निरस्त कर दिया गया—

विलंब क्षमा किया जाता है।

हम इस विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

यदि याचिकाकर्ता के पास यह प्रदर्शित करने हेतु कोई अन्य सामग्री हो कि वह 2001 के नियमों के अंतर्गत आता है, तो वह विधि अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष उचित उपाय कर सकता है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर दिनांक 11.02.2022 के प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक के पत्र के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।
6. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे का निर्धारण प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 4, प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, रेनूकूट, सोनभद्र द्वारा किया जाना चाहिए।
7. पक्षकारों की दलीलों को देखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक समग्र प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति सहित प्रतिवादी संख्या 4 (प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, रेनूकूट, सोनभद्र) के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्राधिकारी याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार, नियमों की लागूता, पात्रता एवं रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. यदि प्रतिवादी संख्या 4 की राय में यह मामला किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय योग्य है, तो अभिलेख संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित कर दिए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

जनवरी 29, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"